वन विभागीय वृक्षारोपण योजनाओं में Online आवेदन हेतु आवश्यक सुझाव

आवेदन कैसे करें –

1. पर्यावरण एवं वन विभागीय वेबसाईट http://forest.bih.nic.in के होम पेज में Online Apply/ ऑनलाईन आवेदन के Link पर Click करे।

2. अगला पेज खुलने पर New Registration बटन पर Click कर अपने सुविधानुसार हिन्दी या अंग्रेजी भाषा का चयन करे एवं पुनः विभिन्न योजनाओं में किसी एक योजना जिसमें आवेदन करना चाहते है चयन करे। इसके बाद आवेदक का नाम, मोबाईल नम्बर प्रविष्ट करें एवं जिला एवं प्रखण्ड का चयन करे।

3. सभी कॉलम भरने के बाद Generate OTP बटन Click करे। Click करने के पश्चात आपके मोबाईल पर 4 अंको का OTP प्राप्त होगा जिसे OTP वाले कॉलम में प्रविष्ट करे और Proceed बटन Click करे।

4. Proceed करने के बाद आपके द्वारा दिया मोबाईल नम्बर पर 12 अंको का रजिस्ट्रेशन आई०डी० प्राप्त होगा। इस रजिस्ट्रेशन आई०डी० का प्रयोग आप अपने आवेदन में किसी तरह की त्रुटि को सुधार हेतु कर सकते है।

5. इसके बाद अगले पेज में सारी सूचना कॉलम के आधार पर भरे एवं पौधे के प्रजाति एवं इसकी संख्या जितना आप लेना चाहते है, उसकी प्रविष्टि करे।

6. सारी सूचना भरने के बाद Save as Draft या Final Submit कर सकते है। Final Submit करने के बाद आप अपने आवेदन में किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते है। अगर आपने Save as Draft किया है तो आपको पुनः रजिस्ट्रेशन पेज पर जाकर already Registered बटन Click कर 12 अंको का प्राप्त Registration Number डाले और आवेदन में व्यक्तिगत एवं पौधों से संबंधित जानकारी को सुधार कर Final Submit कर सकते है।

7. Final Submit करने के बाद आपके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर 12 अंको Application ID और आवेदन पूर्ण रूप से Submit की सूचना प्राप्त होगी तथा पौधा प्राप्त करने हेतु वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर भी प्राप्त होगा।

8. (i) पौधे की खरीद से संबंधित योजना में किसी भी तरह का अभिलेख नहीं देने की आवश्यकता है।

   (ii) कृषि वानिकी योजना/पॉपलर योजना के लिए फोटो (अधिकतम साईज 50 KB), हस्ताक्षर (अधिकतम साईज 20 KB) तथा जमीन के कागजात, बैक पासबुक की मुख्य पृष्ठ की छायाप्रति दिये गये निर्देश के आधार पर अपलोड करें।

   (iii) हर परिसर, हरा परिसर में योजना में सिर्फ फोटो एवं हस्ताक्षर मापदण्ड के अनुरूप अपलोड करें, अपने जमीन का क्षेत्रफल (मीटर में) एवं घेरान की स्थिति अवश्य प्रविष्टि करें।

9. रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आवेदन की स्थिति एवं आवेदन का प्रिन्ट आउट लेने का सुविधा है।

(नोटः–किसी भी तरह की कठिनाई होने पर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर Helpdesk में दिये गये मोबाईल नम्बर अथवा ई–मेल आई0डी0 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। योजना से संबंधित पूरी जानकारी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।)